


20/4/23

पत्रावली पेशा हुई। वकील प्रतिवादी
अनुपस्थित। वकील वादी को बार-बार
आवाजे लगाई गई। वकील वादी उपस्थित
नहीं हुए और ना ही उनका कोई
प्रतिनिधी उपस्थित हुआ। अतः CPC के
O.R. 3 का. 4. में नवा खारिज किया

हा

जाता है पत्रावली केसल
सुमार होकर दर्ज नंबर से
रुम हो निर्णय खुले नयायान्त
में सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
सांभर लोक (जयपुर)